

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ- 58/1/सा.प्र.वि./2022/2439

भिलाई, दिनांक 29-3-2022

//आदेश//

श्रीमती शकुन बाई पवार पति स्व.पूरन सिंह पवार, भृत्य की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 19.04.2022 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 30.04.2022 अपरान्ह को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 29-3-2022

पृ.क्र./एफ-58/1/सा.प्र.वि./2022/2440

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
9. श्रीमती शकुन बाई पवार पति स्व.पूरन सिंह पवार, भृत्य नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई